

से,

श्री. लाला लाल,
सुभाष रोड,
जयपुर प्रेस शाखा

को,

सेक्टर,
केन्द्रीय बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन,
2/19 साई विहार अंतरी रोड,
दिल्ली, नई दिल्ली

विशाल सुभाष-17

दिनांक: 13 नवंबर, 1987

विषय:- केंद्रीय शिक्षा नीति, तीलापुर रोड, जयपुर को अर्जाविले प्रमाण पत्र दिखाने के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह पत्र पढ़ने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय शिक्षा नीति, तीलापुर रोड, जयपुर को केन्द्रीय बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बन्धित प्रमाण पत्र दिखाने में क्व-राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं/बाधाओं के अधीन आती है :-

कुल सामान्य प्रतिक्रिया

- 1- शिक्षा की प्रणति समिति में शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 2- विद्यार्थी में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान मेधापी, पिछले एवं निर्धन आर्थिक वर्ग के विद्यार्थी के लिए सुरक्षित रहेंगे तथा उच्च उच्च माध्यमिक शिक्षा परीक्षाएं दोस्त शिक्षा परीक्षा द्वारा निर्धारित विद्यार्थियों में विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित शूल से अधिक शूल नहीं दिया जाएगा।
- 3- राज्य सरकार द्वारा संस्था को अनुदान नहीं दिया जाएगा।
- 4- संस्था के सभी अध्यापक/अध्यापिकाएं प्रमाणित होंगे। संस्था के शिक्षा तथा विद्यार्थी-संबंधी कार्यवाहियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के अधिकारियों को अनुमति देना तथा अन्य भागों से कम वेतनमान एवं अन्य भागों नहीं दिए जाएंगे।
- 5- राज्य सरकार तथा शिक्षा विभाग द्वारा जो भी अदेश निर्मित होंगे अथवा उच्च पाठन संस्था के लिए आवश्यक होंगे।
- 6- संस्था में अनुदान तथा शिक्षा का स्तर उच्चकोटि का रहेगा।

11/11/87

श्री श्री विद्यार्थ प्रोत्साहन

- 1- विद्यार्थ को प्रबन्ध समिति रीजिस्टर्ड होगी तथा समय-समय पर नियम-द्वारा आज्ञा नवीनीकरण भी कराया जायेगा ।
 - 2- विद्यार्थ में कम प्रत्येक छात्र व अनुभाग के लिए उचित आकार का छात्र-रजि. दो वैकल्पिक विधाय रजि. दो प्रयोगशाला रजि. तथा दो प्रशासनिक रजि. की व्यवस्था की जायेगी ।
 - 3- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त आवासगीच उपहार माध्यमिक विद्यार्थों के कर्मचारियों को अनुमत्त सेवा-निर्णीतक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
 - 4- विद्यार्थ का लेखा-पंजीयन निर्धारित प्रणाली/पंजीयनों में रखा जायेगा ।
- 2- उक्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा । किसी भी समय उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त "अनाधिकृत प्रमाण पत्र" वापस ले लिया जायेगा ।

भावदीय,

श्री रामचन्द्र गोतम ।
संयुक्त सचिव ।

संख्या- 4627 111/15-17-87-सदीनांक

प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, झाड़ाबाद ।
- 2- उच्च शिक्षा निदेशक, लखनऊ कालेज, लखनऊ ।
- 3- शिक्षा विभागाध्यक्ष निरीक्षक, लखनऊ ।
- 4- निरीक्षक, अखिल भारतीय विद्यालय, उज्जैन, लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, मधीर्ष विद्या मंदिर प्रबन्धक संघ, सीतापुर रोड, लखनऊ ।

आशा है,

श्री रामचन्द्र गोतम ।
संयुक्त सचिव ।